ORIENTAL	HEAD OFFICE	10.	DATE: 12.02.2018
	NEW DELHI.	ALL RO'S/ OSTC/ HU(ADWIN.)	L

DEPTT.: PENSION REF.: HO/PEN/01/2018/CR- 8150

## Re.: DEARNESS RELIEF PAYABLE TO PENSIONERS W.E.F. 01/02/2018 TO 31/07/2018

As per the provisions of the General Insurance (Employees') Pension Scheme 1995, the Dearness Relief is payable to the eligible

w.e.f. 1st day of Feb 2018. Consequently, the increased

As per the provisions of the General Insurance (Employees') Pension Scheme 1995, the Dearness Relief is payable to the eligible Pensioners at All India Average Consumer Price Index of Dearness Relief payable to the Pensioners from 01/02/2018 shall be as under:

A) (i) Pensioners who have retired on or before 31/07/1992 as Class III & IV employees and the pensioners who have retired on or before 31/03/1993 as Class I & II employees, and (ii) Pensioners who have retired as Class II & IV during the period between 01/08/1992 to 31/10/1993 and Class I & II employees who have retired as Class II & IV during the period between 01/08/1992 to 31/10/1993 and Class I & II employees who have retired during the period between 01/08/1993 and if they have exercised the option not to be governed by General Insurance (Employees?) Pension (Third Amendment) Scheme, 1999.

Basic Pension		No. of Slabs (Over AIACPI 600 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate				
Upto	7	1.250.00			1487	996,29% of Basic Pension	
From	┿	1,251.00	to	2.000.00	1487	12453.63 + 817.85% of Basic Pension in excess of 1,250.0	0
From	+	2.001.00	to	2,130,00	1487	18587.50 + 490.71% of Basic Pension in excess of 2,000.0	0 .
Above	┿	2,130.00	-10	2,100,00	1487	19225.42 + 252.79% of Basic Pension in excess of 2,130.0	0 .

B) Pensioners whose basic pension is calcutated on revised scales of pay linked to 1148 points of index or who have retired during the period from 01/11/1993 to 31/07/1997.

			Basic	Pensi	on		No. of Slabs (Over AIACPI 1148 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate	
ı	Upto	Τ.	2,400,00				1350	472,50% of Basic Pension	
	From	4	2,401.00		to	3850.0	1350	11340.00 + 391.50% of Basic Pension in excess of 2,400.00	
	From	+	3.851.00		to	4100.0	1350	17016.75 + 229.50% of Basic Pension in excess of 3,850.00	
	Above	┿	4 100 00		-	7.55.5	1350	17590.50 + 121.50% of Basic Pension in excess of 4,100.00	

Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 1740 points index or who have retired on or after 01/08/1997.

Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACP! 1740 in the series of 1960≃100)	Dearness relief rate
Full Basic Pension	1202	0.23% of Basic Pension

Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 2328 points index or who have retired on

Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 2328 in the series of 1960=100)	
Full Basic Pension	1055	0.18% of Basic Pension

Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 2944 points index or who have retired on or after 01/08/2007.

Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 2944 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate
Full Basic Pension	901	0.15% of Basic Pension

F) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 4709 points index or who have retired on or after 01/08/2012.

	T		
Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 4709 in the series of 1960=100)		
Full Basic Pension	460	0.10% of Basic Pension	

G) Dearness relief payable on Ex-gratia to surviving pre-1986 retirees w.e.f. 01.02/2098.

Dearness Relief Payable on Ex-gratia to eligible Pre-1986 retirees w.e.f. 01/02/2018 shall be `3487/- You are advised to release an amount of `3837/- (Ex-Gratia `350/- + D.A.`3487/- pm) to all eligible Pre-1986 retirees from 01/02/2018 to 31/07/2018 payable on or after the 1st of the month following the month in which it becomes due.

Source: Cir. HO/Pers/DA/2018/04/CR-8148 dated 07.02.2018

( HINDI VERSION FOLLOWS)

Dy. Gen Manager



पैशन विभाग प्रधान कार्यालय नई दिल्ली

पैंशन कक्ष, सभी क्षे.का/ओएसटीसी/ प्रधान कार्यालय (प्रशासन)

प्रातः

दिनांक : 12/02/2018

विभागः पेंशन

संदर्भः प्र.का./पेशन/01/2018/सीआर- 8150

## विषय: 01/02/2018 से 31/07/2018 तक पैंशन झींगियों को देय मॅहगाई राहत ।

साधारण बीमा (कर्मचारी)पॅशन योजना 1995 के प्रावधानों के अनुसार ०। फरवरी, २०१८ से अखित भारतीय औरात उपशोबना मृत्य सूचकांक 6551 के आधार पर पात पॅशनकोशियों को मेहगाई राहत देय हैं। परिणामस्वरूप बढ़ी हुई मेंहँगाई राहत पैशनभौगियों को दिनांक 01/02/2018 से निस्न प्रकार से देय होगी:

3) (1) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 31/07/1992 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए पैशनमांगी और प्रथम एवं दिवतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में 31/03/1993 को या उससे पूर्व

्य) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 01/08/1992 से 31/10/1993 के बीच में सेवालिवृत्त हुए पैंशतओगी और प्रथम एवं दिवतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में 01/04/1993 से 31/10/1993 के बीच में सेवालिवृत्त हुए पैंशतओगी और यदि उन्होंने साधारण बीमा (कर्मचारी) पैक्षत (तृतीय संशोधन) योजना 1999 द्वार अधिशासित न होने का विकल्प मुना है।

1250/- ਜ਼ਰੂ	स्लैंबों की संख्या (1960=100 की शृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 600 से अधिक)	ान) थोजना 1999  द्वारा अधिशासित न होने का विकल्प चुना है। महामाई राहत दर
1251/- से : 2000/- तक	1487	मूल पैशन का 996.29%
001/- से ' 2130/- तक	1487	` 12453.63 + ` 1250 से अधिक की मूल पँशन का 817.85%
130/- से अधिक	1487	' 18587.50+ ' 2000 से अधिक की मूल पैंसन का 490.71%
स् आधक	1487	19225.42 + ' 2130 से अधिक की मूल पँशन का 252.79%

मूल पैशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की शृंखलाओं	तर पर की गई है अथवा 01/11/1993 से 31/07/1997 की अवधि में सेवानिवृत्त ह
' 2400/- तक	में ए आई ए सी पी आई 1148 से अधिक)	मेंहगाई राहत दर
' 2401/- से ' 3850/- तक	1350	मूल पॅशन का 472.50%
` 3851/- से   4100/- तक	1350	` 11340.00 + ` 2400 से अधिक की मूल पैंशन का 391.50%
4100/- से अधिक	1350	17016.75 + 3850 से अधिक की मूल पेंशन का 229,50%
*	1350	' 17590.50 + ' 4100 से अधिक की भूत पेंशन का 121.50%

पंशनभोगी जिसकी मूल पंशन की गणना सूचकांक के 1740 अंकों से संबद्ध संशोधित बेतानमानों के

	मूल पैंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की शृंखनाओं	थार पर की गई है अथवा 01/08/1997 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:	
		भें ए आई ए सी पी आई 1740 से अधिक)		-
Į	पूर्ण मूल पैशन	1202	मूल पैंशन का 0.23%	
	पंशतकोगी जिन्नकी पर रूक		4. 1307 dk 0.23%	

पैंशनभोगो जिनकी मूल पैंशन की गणना सूचकांक के 2328 अंकों से संबद संशोधित वेतन

		कारण जन्म से संबंध संशाधित वेतनमानों के भारत का कि
	मूल पेशन	जावार पर का गड़ है अथवा 01/08/2002 को गा उनके
		स्वित संस्था (1960=100 की श्रृंखलाओं । स्वित की आधार पर की गई है अथवा 01/08/2002 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:
		मेंहगाई राहत दर
1	<del></del>	में ए आई ए सी पी आई 2328 से अधिका)
	पूर्ण सुरा पेशन	
Į	V. Mer. 1 cont.	1055
1		1055
		मूल पैंशन का 0.18%
	W	
	पेशनकोको जिल्ला स्थान व	

पैंशनभोगी जिनकी मूल पैंशन की गणना सूचकांक के 2944 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के

	्र प्रभाग जान से सबंद संशाधित वेतनमानों के उनक		
	मूल पेंशन स्लैबों की संख्या (1960=100 की शृंखलाओं	गर पर की गई है अथवा 01/08/2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:	
	पूर्ण मूल पैंशन में ए आई ए सी पी आई 2944 से अधिका)		
. '	901	मूल पेंशन का 0,15%	
	ffer patrick 60 g		

पैंसनआंगी जिनकी मूल पैंशन की गणना सूचकोंक के 4709 अंकों से संबद संशोधित वैतनगानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2012

		960~100 की श्रृंखलाओं महिनाई राहत दर
ĺ	1 7 - 101 101	महमाई राहत दर अई 4709 से अधिका
	वर्ष 1986 में मर्व नेवरिक के	मूल पैशन का 0.10%

वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पात्र जीवित कर्मवारियों को अनुग्रह राशि पर देय महनाई राहत दिनांक 01/02/2018 से प्रभावी : 01/02/2018 से वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पात्र जीवित नर्जचारियों को अनुग्रह राशि पर देय संहगाई राहत '3487/ होगी। निर्देश हैं कि वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को '3837/- ('350/-अनुयह राशि + '3487/- प्रति माह महमाई यहत) की दर से 01/02/2018 से 31/07/2018 तक मुगतान करें जो राशि देय होने के अगले माह की पहली तारीख कृपया पावती दें।

स्रोत : परिपत्र: एचओ/कार्मिक/डीए/2018/04/परि.8148 दिनांक 07.02.2018

C:\Users\10928\Desktop\Pension\DA Feb.2018 Hindi (Pension).doc